वन मित्र योजना

(समुदाय द्वारा गैर–वन भूमि पर वृक्षारोपण के लिए हरियाणा सरकार की योजना)

1. कार्यकारी सारांश

वन मित्र योजना गैर–वन भूमि पर वृक्षारोपण गतिविधियों में सामुदायिक भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार की एक पहल है। स्वस्थ पर्यावरण के लिए हरित आवरण की महत्वपूर्ण भूमिका और हरियाणा में वन क्षेत्रों में कमी के दृष्टिगत, इस योजना का उद्देश्य राज्य भर में वृक्ष आवरण को बढ़ाने में स्थानीय समुदायों को सीधे शामिल करना है। पूरे राज्य में फैले स्थानीय स्वयंसेवकों के समर्थन का लाभ उठाकर, यह योजना पर्यावरण संरक्षकता की संस्कृति, वृक्षारोपण और उसकी देखभाल के प्रति व्यक्तिगत प्रतिबद्धता को बढ़ावा देने की कल्पना करती है। इसके अतिरिक्त, भारत के माननीय प्रधान मंत्री द्वारा जून, 2024 में शुरू किए गए अभियान **"एक पेड़ माँ के नाम"** के तहत लगाये गये वृक्षों का रख–रखाव, वन मित्र योजना के साथ एकीकृत किया जाएगा।

2. परिचय

पर्यावरणीय स्थिरता भूमि पर हरित आवरण की सीमा पर निर्भर करती है। हरियाणा जैसे कम वन वाले राज्यों में, नागरिकों के लिए पारिस्थितिक संतुलन और परिवेश पर्यावरण की बहाली के लिए निर्दिष्ट वन क्षेत्रों के बाहर वृक्ष आवरण को बढ़ाने की आवश्यकता है। वन मित्र योजना का उद्देश्य सामुदायिक संसाधनों को जुटाना, वृक्षारोपण और उसके उपरान्त उसकी देखभाल के लिए उत्साहित करना है।

3. योजना अवलोकन

क) उद्देश्यः वृक्षारोपण में सामुदायिक भागीदारी को प्रोत्साहित करना, वृक्षारोपण की सफलता दरों को बढ़ाना और एक जीवंत पर्यावरण के लिए गैर–वन भूमि पर वृक्ष आवरण को बढ़ाना।

ख) संचालन प्रक्रिया

i. **सार्वजनिक जागरूकता :** इस योजना को प्रिंट मीडिया और वन विभाग की वेबसाइट के माध्यम से व्यापक प्रचार दिया जाएगा।

ii. **पात्र परिवारों की पहचान** : 1.8 लाख से कम वार्षिक आय वाले पात्र परिवारों/व्यक्तियों की पहचान, नागरिक संसाधन सूचना विभाग (CRID)

द्वारा बनाए गए परिवार पहचान पत्र (PPP) के आंकड़ों से की जाएगी और योजना में भागीदारी के लिए पात्रता की सूचना दी जाएगी। इस संदेश के माध्यम से हितधारकों को वन मित्र पोर्टल/मोबाइल ऐप पर पंजीकरण प्रक्रिया से अवगत कराया जाएगा।

iii. **पंजीकरण :** पात्र परिवार के एक सदस्य (आयु 18 से 60 वर्ष के बीच) को वन मित्र मोबाइल पोर्टल/ऐप पर पंजीकृत किया जा सकता है। पंजीकरण के समय लगाए जाने वाले पौधों की संख्या की जानकारी परिवार के सदस्य द्वारा दी जाएगी।

iv. **पंजीकृत आवेदकों द्वारा वृक्षारोपण** : वन मित्र पोर्टल पर पंजीकृत सभी आवेदकों को एक निर्धारित समय सीमा के भीतर उनके द्वारा पहचानी गई गैर–वन भूमि पर न्यूनतम 10 और अधिकतम 1000 पौधे लगाने का अवसर दिया जाएगा, जिसे एसएमएस के माध्यम से सूचित किया जाएगा। आवेदकों को गैर–वन भूमि की पहचान करनी होगी और गड्ढे खोदने होंगे व जियो–टैग करना होगा और गड्ढे की फोटो वन मित्र ऐप पर अपलोड करनी होगी। सफलतापूर्वक गड्ढे खोदने और वन मित्र पोर्टल पर जानकारी अपलोड करने के बाद, आवेदक वन विभाग द्वारा संचालित पौधशाला से पौधे प्राप्त कर सकते हैं। वन मित्र पोर्टल/ऐप (http://164.100.137.122/vanmitra) और वन विभाग की वेबसाइट (https://haryanaForest.gov.in/) पर पौधे प्राप्त करने के लिए वन पौधशालाओं की सूची उपलब्ध होगी, जिसमें पौधशाला का स्थान और पौधशाला प्रभारी का नाम भी शामिल होगा। आवेदकों द्वारा गड्ढों की खुदाई और वृक्षारोपण, प्रशिक्षण सामग्री में वर्णित निर्दिष्ट गड्ढे के आकार और वृक्षारोपण तकनीकों के अनुसार किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, सफलतापूर्वक गड्ढे खोदने, जियोटैग करने और वन मित्र पोर्टल पर तस्वीरें अपलोड करने वाले सभी आवेदकों को प्रति गड्ढा 20 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। वन नर्सरियों से पौधे प्राप्त करने और उन्हें खोदे गए गड्ढों पर वृक्षारोपण करने, जियोटैग करने और वन मित्र मोबाइल ऐप पर पोर्टल पर तस्वीरें अपलोड करने के बाद, वन मित्रों को प्रति पौधा 30 रुपये की प्रोत्साहन राशि मिलेगी, जो सीधे उनके खाते में जमा की जाएगी।

v. **वन मित्र का चयन :** सभी पंजीकृत आवेदक जो वन मित्र मोबाइल ऐप का उपयोग करके सफलतापूर्वक पेड़ लगाते हैं, जियोटैग करते हैं और उनकी तस्वीरें अपलोड करते हैं, उन्हें 'वन मित्र' की मान्यता दी जाएगी। ये वन मित्र अपने द्वारा लगाए गए पौधों के साथ–साथ अन्य वन मित्रों या **'एक पेड़ माँ के नाम'** अभियान के प्रतिभागियों द्वारा उन्हें सौंपे गए पौधों के निरंतर रखरखाव के लिए जिम्मेदार होंगे। ऐसे वृक्षारोपण के आगामी रखरखाव के लिए, वन मित्र को हस्तांतरित करने की प्रक्रिया वन मित्र पोर्टल के माध्यम से की जाएगी।

vi. **भूमि की पहचान :** वन मित्र गैर–वन भूमि जैसे कि पंचायत भूमि, संस्थागत भूमि और सरकारी भूमि (जैसे, स्कूल, कॉलेज, औषधालय, सरकारी कार्यालय, जल–घर आदि) के साथ–साथ गाँव के तालाबों, पंचायत भवनों, वृक्षारोपण के लिए शमशान घाट, गैर–अधिसूचित सड़कें आदि का चयन वृक्षारोपण के लिए करेगा।

vii. **प्रशिक्षण :** पंजीकृत आवेदकों को वन मित्र पोर्टल और ऐप पर पर्याप्त प्रशिक्षण सामग्री मिलेगी, जिसमें वन मित्र मोबाइल ऐप का उपयोग करना, वृक्षारोपण तकनीक, सुरक्षा उपायों और लगाए गए पौधों की जियोटैगिंग के बारे में जानकारी मिलेगी।

4. कार्यान्वयन समयरेखा और गतिविधियाँ

क) पहले वर्ष

i. फ़रवरी / मार्च : पंजीकरण, चयन एवं प्रशिक्षण।

ii. 15 जुलाई से 31 अगस्त : गड्ढे की खुदाई और वृक्षारोण के साथ जियोटैगिंग

iii. सितम्बर से मार्च : वृक्षारोपण का रखरखाव एवं सुरक्षा।

ख) दूसरे, तीसरे और चौथे वर्ष

वृक्षारोपण का रखरखाव एवं सुरक्षा।

5. प्रोत्साहन राशि

क) पहले वर्ष

गड्ढे खोदना

i. गड्ढा खोदने व उसकी जियो टैगिंग करके उसका विवरण गड्ढों की फोटो के साथ वन मित्र ऐप पर अपलोड करने के बाद 20 रु0 प्रति गड्ढा की अदायगी।

वृक्षारोपण

ii. वृक्षारोपण उपरान्त उसकी जियो टैगिंग करके उसका विवरण पौधों की फोटो के साथ वन मित्र ऐप पर अपलोड करने के बाद 30 रु0 प्रति पौधा की अदायगी।

वृक्षारोपण रखरखाव

iii. वन मित्र द्वारा महिने में वृक्षारोपण के रख–रखाव/संरक्षण कार्य उपरान्त पौधों के फोटोग्राफ वन मित्र मोबाइल एप पर अपलोड करने के बाद आगामी माह के प्रथम सप्ताह में प्रति जीवित पौधा 10 रुपये का भुगतान।

ख) दूसरे वर्ष

वन मित्र द्वारा महिने में वृक्षारोपण के रख–रखाव/संरक्षण कार्य उपरान्त पौधों के फोटोग्राफ वन मित्र मोबाइल एप पर अपलोड करने के बाद आगामी माह के प्रथम सप्ताह में प्रति जीवित पौधा 8 रुपये का भुगतान।

ग) तृतीय वर्ष

वन मित्र द्वारा महिने में वृक्षारोपण के रख–रखाव/संरक्षण कार्य उपरान्त पौधों के फोटोग्राफ वन मित्र मोबाइल एप पर अपलोड करने के बाद आगामी माह के प्रथम सप्ताह में प्रति जीवित पौधा 5 रुपये का भुगतान।

घ) चौथे वर्ष

वन मित्र द्वारा महिने में वृक्षारोपण के रख–रखाव/संरक्षण कार्य उपरान्त पौधों के फोटोग्राफ वन मित्र मोबाइल एप पर अपलोड करने के बाद आगामी माह के प्रथम सप्ताह में प्रति जीवित पौधा 3 रुपये का भुगतान।

6. तकनीकी एकीकरण

क) वन मित्र ऐप : पंजीकरण, जियो–टैगिंग और वृक्षारोपण की सफलता की जांच के लिए।

ख) प्रोत्साहन राशि का भुगतान : सरकार की प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डायरैक्ट बेनेफिट ट्रांसफर) (डीबीटी) नीति का पालन करते हुए वन मित्रों को प्रोत्साहन राशि का भुगतान सीधे उनके खातों में किया जाएगा।

7. योजना के बुनियादी कार्यान्वयन दिशानिर्देश

क) प्रजाति चयन : योजना के तहत केवल देशी एवं बहुउद्देशीय प्रजाति के वृक्ष ही लगाये जायेंगे। लगाए जाने वाले पौधों में छोटी अवधि वाली प्रजातियां यूकेलिप्टस और पोपलर, जिनका उपयोग आमतौर पर कृषि–वानिकी में किया जाता है, शामिल नहीं होंगी।

ख) पौधे से पौधे की दूरी : पौधे से पौधे की न्यूनतम दूरी लगभग आठ मीटर होगी। इस दूरी से प्रति एकड़ लगभग 65 पौधे लगाए जा सकते हैं।

ग) गैर–स्वामित्व वाली भूमि पर वृक्षारोपण : यदि वन मित्र से संबंधित भूमि पर वृक्षारोपण नहीं किया गया है, तो वह भूमि के मालिक को वृक्षारोपण के चार साल पूरे होने के बाद पौधों को भूमि के मालिक को सौंप देगा और मालिक

फिर पौधे की उसकी संपत्ति के तौर पर देखभाल करेगा। प्रत्येक सौंपे गए पौधे के लिए वन मित्र को प्रति पौधा 25 रुपये का मानदेय दिया जाएगा। यदि रोपा गया पेड़ स्वयं वन मित्र की भूमि पर है, तो उसे पेड़ का मालिक माना जाएगा और इसके बाद उसे पेड़ के मालिक के रूप में योजना अनुसार प्रोत्साहन राशि देय होगी।

8. वन मित्र की भूमिका एवं जिम्मेदारी

क) **गैर–स्वामित्व वाली भूमि के लिए सहमति** : यदि वृक्षारोपण के लिए चिन्हित भूमि वन मित्र के स्वामित्व में नहीं है, तो वह मालिक/अधिकृत व्यक्ति से लिखित में सहमति प्राप्त करेगा।

ख) **वृक्षारोपण और देखभाल** : मानक संचालन प्रक्रियाओं (एसओपी) में निहित विनिर्देशों के अनुसार, वृक्षारोपण के लिए आवश्यक गड्ढे खोदना और इसके बाद गड्ढे में वृक्षारोपण करना और उनकी देखभाल करना।

ग) **जियोटैगिंग और अपलोडिंग** : गड्ढे की खुदाई, पौधारोपण, पौधों के मासिक रखरखाव/सुरक्षा उपरान्त प्रत्येक गड्ढे/पौधे की जियोटैगिंग और तस्वीरें अपलोड करना। यदि वन मित्र द्वारा दावा किया गया कार्य, 10% से अधिक झूठा पाया जाता है, तो वन मित्र को हटा दिया जाएगा।

घ) **पौधों की सफलता** : वृक्षारोपण की सफलता सुनिश्चित करना।

ड़) **'एक पेड़ माँ के नाम' अभियान** : हरियाणा का कोई भी निवासी 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान के तहत अपनी मां के नाम पर एक पेड़ लगा सकता है और उसे आगे की देखभाल के लिए संबंधित वन मित्र को सौंप सकता है। इसके बाद, वन मित्र उक्त पेड़ के रखरखाव के लिए जिम्मेवार होंगे और पैरा 5 क (iii) के अनुसार प्रोत्साहन राशि के हकदार होंगे।

9. वन विभाग की भूमिका एवं जिम्मेदारी

क) **नियंत्रण/पर्यवेक्षी अधिकारी** : कार्य के निष्पादन को सुविधाजनक बनाने के लिए संबंधित वन रक्षक नियंत्रण अधिकारी होंगे और संबंधित ब्लॉक/रेंज अधिकारी वन मित्र के पर्यवेक्षी अधिकारी होंगे। वे वन मित्र की अपलोड की गई रिपोर्ट का मूल्यांकन भी करेंगे।

ख) **पौधों की आपूर्ति** : वृक्षारोपण के लिए आवश्यक स्वस्थ पौधे उपलब्ध कराना, जिसमें 10% अतिरिक्त पौधे वृक्षारोपण के दौरान मरे पौधों को दोबारा रोपित करने के लिए होंगे।

ग) **प्रशिक्षण** : वन मित्रों को बुनियादी प्रशिक्षण देने के लिए, पर्याप्त प्रशिक्षण सामग्री प्रदान की जाएगी, जिसमें वृक्षारोपण की तकनीक, रखरखाव/संरक्षण, लगाए गए पौधों की जियोटैगिंग ईत्यादि शामिल हैं। मानक संचालन प्रक्रियाओं (एसओपी) में पौधारोपण तकनीक, पौधों की निराई, गुड़ाई, सिंचाई

और पौधों को पाले से बचाने के उपायों की आवश्यकताएं शामिल होंगी। यदि आवश्यक हुआ, तो वन मित्रों को वन मित्र मोबाइल ऐप पर व्यावहारिक प्रशिक्षण भी प्राप्त होगा।

घ) **सलाहकारी सहायता :** वन रक्षक, वनपाल और रेंज अधिकारी आवश्यकता पड़ने पर अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर वन मित्रों को वृक्षारोपण के संबंध में सलाह प्रदान करेंगे।

ड़) **वन मित्र का विघटन :** कदाचार/दुर्व्यवहार या असंतोषजनक प्रदर्शन के आधार पर वन मित्र को हटाया जा सकता है। वन मित्र को राज्य सरकार के नियमित सरकारी कर्मचारी के रूप में नियमितीकरण/समावेश/नियुक्ति का दावा करने का कोई अधिकार नहीं होगा।

च) **दस्तावेज़ीकरण :** वन मित्र द्वारा किये गये वृक्षारोपण की सफलता प्रतिशत के आकलन का दस्तावेजीकरण।